रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 30, 1999/भाद्र 8, 1921
No. 70] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 30, 1999/BHADRA 8, 1921

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1999

सं. 8/1(1)/99/केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 के विनियम 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, निम्नलिखित आदेश करता है:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(i) इस आदेश का नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 1999 है ।

(ii) यह आदेश 26 अप्रैल, 1999 को लागू हुआ समझा जाएगा, जिस तारीख को केन्द्रीय विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(iii) इस आदेश में दिए गए शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जोकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 1999 में परिभाषित हैं ।

2. आयोग के कार्यालय का स्थान और कार्य समय

अगले आदेश तक, आयोग का प्रधान कार्यालय कोर 3, पांचवा तल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में अवस्थित होगा । आयोग का कार्य-समय प्रातः 9.30 से सांय 6 बजेतक होगा जिसमें 1.30 अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक भोजनावकाश होगा ।

3. आदेशों का अभिप्रमाणन

सचिव के अतिरिक्त, न्यायपीठ अधिकारी आयोग के न्यायिक आदेशों के अधिप्रमाणन के लिए सक्षम होंगे ।

4. आयोग की मुहर

आयोग की प्राधिकारिक मुहर निम्नवत होगी:

सी ई आर सी
C E R C

5. याचिका, आवेदन, उत्तर आदि प्रस्तुत करना

सभी याचिकाएं, आवेदन, उत्तर आदि आयोग के प्रधान कार्यलय में सभी कार्य-दिवसों पर, कार्य-समय के दौरान न्यायपीठ अधि के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।

6. आयोग के समक्ष अभ्यावेदन करने के लिए प्राधिकार

(i) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो आयोग के समक्ष किन्ही कार्यवाहियों में पक्षकार है, आयोग के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने के लिए इस प्रयोजन के लिए सभी या कोई अन्य कार्य करने के लिए स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या किसी अधिवक्ता किसी अन्य व्यक्ति को,जो किसी कानून निकाय का सदस्य हो, या अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ।

स्पष्टीकरणः किसी कानूनी निकाय के सदस्य से अर्थ है व्यवसायरत चार्टड लेखाकार, कंपनी सचिव या लागत और संकर्म लेखाकार-

(ii) आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने वाला और कार्य करनेवाला अधिवक्ता उस व्यक्ति द्व उसकी ओर से, जिसके लिए वह उपस्थित हो रहा है,सम्यक रूप से निष्पादित वकालतनामा फाइल करेगा ।

(iii) आयोग के समक्ष किसी पक्षकार को अभ्यावेदित करने वाले विधि व्यवसायी के सिवाय कोई व्यक्ति उसके द्वारा सम्यक हस्ताक्षिरत उपाबंध-I के प्ररूप में उपस्थिति ज्ञापन दाखिल करेगा ।

7. प्राप्ति स्टांप सहित आयोग की मुहर

(i) याचिका, आवेदन, उत्तर या अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति, जो न्यायपीठ अधिकारी होगा, सभी प्रतियों के पृष्ठ पर आयोग की मुहर सहित प्राप्ति मुहर लगाएगा और मुहर पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(ii) याचिका, आवेदन, उत्तर या अन्य दस्तावेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपाबंध-II के अनुसार, विहित डायरी रजिस्टर में उस को प्रविष्ट करेगा और डायरी संख्या समनुदेशित करेगा । वहीं डायरी संख्या सभी प्रतियों पर प्रविष्ट की जाएगी ।

(iii) प्राप्ति मुहर का रूपविधान (फारमेट) निम्नानुसार होगाः-

सी ई आर सी
C E R C

RECEIVED

Signature

8. त्रुटियों की संसूचना

(i) यदि संवीक्षा करने पर, कोई याचिका, आवेदन या अभिवचन त्रुटियुक्त पाया जाता है तो त्रुटियों को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सुधारने की सलाह दी जाएगी। त्रुटियों को सूचित करने वाले मानक पत्र, उपाबंध-III के प्ररूप के अनुसार होगा ।

(ii) यदि संबद्ध पक्षकार मंजूर किया गए समय के भीतर त्रुटियों को सुधारता है तो याचिका पंजीकृत की जाएगी और आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

(iii) यदि पक्षकार कार्यालय आपत्ति का विरोध करता है और उसके सचिव भी संतुष्ट नहीं होते या यदि संबंद्ध पक्षकार अन्यथा उसको मंजूर किए गए समय के भीतर सुधारने में असफल रहता है तो सचिव मामले को युक्तियुक्त आदेश के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखेंगे।

9. प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना

(i) प्रत्येक मूल अथवा संसोधित अंतरिम आदेश तथा अंतिम आदेश की प्रतिलिपि संबंध पक्षकारों को नि:शुल्क भेजी जाएगी ।

परन्तु यह कि जब तक आयोग द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाए, अंतिम आदेश की प्रति किसी ऐसे पक्षकार को नहीं भेजी जाएगी जो उपस्थित न हुआ हो।

(ii) आयोग के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति या आयोग के समक्ष कार्यवाहियो के अभिलेख के भाग रूप कोई दस्तावेज, अभिप्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति उपाबंध iv के अनुसार, विहित प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

(iii) प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन के साथ सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग,नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 50/- रुपए की फीस होगी ।

(iv) आवेदन प्रति का रजिस्टर उपाबंध v में यथाविहित प्ररुप में रखा जाएगा ।

(v) प्रमाणित प्रतियाँ, यथासाध्य, उस क्रम में तैयार की जाएंगी जिस क्रम में आवेदित प्रति के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो ।

(vi) प्रमाणित प्रतियाँ फोटोकापी करने वाली प्रक्रिया या टाइपिंग द्वारा तैयार की जाएगी और जब प्रति इस प्रकार तैयार की जाती है तो, उसका प्रति तैयार करने वाले व्यक्ति, अपना यह समाधान करने के लिए कि प्रति निष्ठापूर्वक तैयार की गई है और वांछित दस्तावेज को पढ़े जाने योग्य प्रत्युत्पादित किया गया है, द्वारा मिलान किया जाएगा ।

(vii) दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ के पीछे, निम्नवत पृष्ठांकित किया जाएगा:
- (i) आवेदन का क्रम संख्यांक
- (ii) आवेदक का नाम
- (iii) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख
- (iv) पृष्ठों की संख्या
- (v) प्रति फीस का प्रभार
- (vi) प्रति तैयार करने वाली तारीख
- (vii) जारी करने की तारीख

(viii) पृष्ठांकन इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई रबर स्टांप की सहायता से किया जाएगा ।

(ix) आयोग के न्यायपीठ अधिकारी को प्रमाणित प्रतियाँ देने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा । वह प्रमाणित प्रति के अंतिम पृष्ठ के पीछे पृष्ठांकन के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(x) प्रमाणित प्रतियां प्रदान करने वाले सभी मामले में, चाहे वे निःशुल्क प्रदान की जाए या पक्षकार द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर जाएं, न्यायपीठ अधिकारी प्रति के सभी पृष्ठों पर आयोग की मुद्रा लगाएगा । वह दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर निम्नावत मुहर लगाएगा तथा अपने हस्ताक्षर करेगा

प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

(xi) प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए संदेय प्रतिलिपि फीस, प्रत्येक पृष्ठ में पृष्ठ में शब्दों/पंक्तियों की संख्या को ध्यान में रखे बिना 3 रुपए प्रति पृष्ठ होगी ।

10. अभिलेखों का निरीक्षण

(i) दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन उपबंध vi में दिए गए प्ररूप में होगा और एक दिन के लिए प्रत्येक निरीक्षण हेतु, उसके साथ सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग,नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में 100/- रु का शुल्क होगा ।

(ii) अभिलेखों का निरीक्षण, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में कार्यदिवस घंटों के दौरान, (किसी कार्यदिवस पर) आयोग के किसी कार्यदिवस पर सामान्यत: 2.30 बजे से 4.30 बजे के दौरान किया जा सकेगा।

(iii) अभिलेखों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति निरीक्षण करते समय, किसी भी रीति से, अभिलेखों को अस्त-व्यस्त नहीं करेगा, उन्हें फाड़ेगा नहीं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा ।

(iv) निरीक्षण का पर्यवक्षेण करने वाला अधिकारी यदि उसकी राय में, निरीक्षण करने की प्रक्रिया में किन्ही अभिलेखों को नुकसान की संभावना है तो किसी भी समय और निरीक्षण करने के लिए मना कर सकेगा और सचिव को तत्काल रिपोर्ट करेगा और पर अगला आदेश प्राप्त करेगा ।

(v) उपाबंध vii के प्ररूप अनुसार, अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए रजिस्टर रखा जाएगा ।

याचिकाओं, आवेदनों आदि से संबंधित फीस

(i) आयोग के समक्ष फाइल की जाने वाली प्रत्येक याचिका/आवेदन के साथ अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

परन्तु यह कि आरएलडीसी और भारत सरकार से रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता समूहों को विहित शुल्क का संदाय करने से छूट प्र

(ii) फीस, सहायक सचिव, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश द्वारा संदेय होगी ।

(iii) प्राप्त की गई फीस उपाबंध viii के प्ररूप के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए विहित रजिस्टर में प्रविष्ट की जाएगी ।

संजीव एस. अहलुवालिया, स

[विज्ञापन-III/4/असा./]

अनुसूची

फीस संरचना

क्रम सं.	याचिका की प्रकृति	कानूनी उपबंध	फीस (रुपयों में)
1.	उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	वि.वि.आ.अधिनियम 13(क) और (ख)	10 लाख रुपए
2.	पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए याचिका	वि.वि.आ.अधिनियम, 13 (ग)	2 लाख रुपए
3.	पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए याचिका	भा. वि. अधिनियम, 27 ग (1)	@
4.	आर एल डी सी एस/ एस एल डी.सी/सीईए के विनिश्चय प्रवर्तित करने के लिए याचिका	ई.एस. अधिनियम, 55 (9)	1 लाख रुपए
5.	कोई अन्य याचिका		1 लाख रुपए
6.	दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए आवेदन	के.वि.वि.आ;(सी.बी.आर.) विनियम,66	100 रुपए प्रतिदिन
7.	प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन	के.वि.वि.आ; (सी.बी.आर.) विनियम 67	3 रुपए प्रति पृष्ठ
8.	अंतर्वर्ती आवेदन		10,000 रुपए

@ फीस पृथक रूप से विहित की जाएगी ।

उपाबंध-I

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

याचिका सं----------

-----------के मामले में

-----------अर्जीदार

बनाम

-----------प्रत्यर्थी

उपसंजात होने का ज्ञापन

मैं-----------,------------के रूप में व्यवसायरत/कार्यरत को---------की ओर से उपस्थित होने के लिए-----------द्वारा प्राधिकृत (प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की विशिष्टियाँ दें) किया जा रहा है और पूर्वोक्त मामले के सभी मामलों में,उसके लिए अभिवचन और कार्य करने के लिए वचनबंध करता हूँ ।

हस्ताक्षर और पदनाम

स्थान :________

तारीख:________

पत्राचार के लिए पता

उपाबंध-II

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

याचिका का रजिस्टर

क्रम सं.	डायरी सं.	फाइल करने की तारीख	याचिका/आवेदन सं.	प्रार्थी का नाम और पता	प्रत्यर्थी का नाम और पता	याचिका आवेदन की विषय वस्तु	ग्रहण करने की तारीख	पारित अंतरिम आदेश की विशिष्टियाँ यदि कोई हों,	अंतिम आदेश की तारीख और विशिष्टियाँ	उच्च न्यायालय में फाइल की गई अपील,यदि कोई हों, के ब्यौरे	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उपाबंध-III

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

सं.

विषय विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 13 के अधीन याचिका- के विषय में ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर तारीख---------------------------- को फाइल किए गए तारीख---------------------- की आपकी याचिका/आवेदन के संदर्भ में आपको सूचित करने का निदेश हुआ है। कि संवीक्षा करने पर, निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:

1. याचिका केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, सी वी आर के अध्याय में विहित प्ररुप में नहीं है ।
2. पक्षकारों के नाम, विवरण और पता बाद शीर्षक (टाइटिल) में नहीं दिया गया है ।
3. निम्नलिखित आवश्यक पक्षकार अभियोजित नहीं किए गए हैं ।
4. याचिका सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित नहीं है ।
5. याचिका शपथपपत्र के माध्यम से सत्यापित नहीं की गई है ।
6. शपथपत्र के.वि.वि.आ., सी.बी.आर के अध्याय II में विहित प्रारुप पर नहीं है
7. शपथपत्र हस्ताक्षरित नहीं है और सक्षम प्राधिकारी के समक्षसशपथ नहीं है ।
8. याचिका की सात प्रतियाँ फाइल नहीं की गई हैं ।
9. याचिकाओं की प्रतियाँ सभी बावत पूरी नहीं हैं ।
10. दस्तावेजों की प्रतियाँ पढ़े जाने योग्य और सम्यक् रूप से प्रमाणित नहीं है ।
11. अंग्रेजी/हिन्दी को छोड़कर सम्यभाषा में अंतर्विष्ट दस्तावेजों और अन्य सामग्री का अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद फाइल नहीं किया गया है।
12. दस्तावेज के अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद की अधिप्रमाणिकता नहीं दी गई है ।
13. वकालतनामा/प्राधिकार पत्र फाइल नहीं किया गया है ।
14. वकालतनामा उचित तौर पर निष्पादित नहीं किया गया है और आवश्यक न्यायालय फीस संदत्त नहीं की गयी है ।
15. याचिका/आवेदन के लिए विहित फीस संदत्त नहीं की गई है ।
16. दस्तावेजों की अनुक्रमाणिका फाइल नहीं की गई है ।
17. दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या उचित तौर पर नहीं डाली गई है ।

आपसे, इस पत्र के जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध किया जाता है ऐसा करने में असफल रहे पर, याचिका रद्द समझी जाएगी ।

भवदीय

(न्यायपीठ अधिकारी)

उपाबंध

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

याचिका सं.

---------------प्रार्थी

बनाम

---------------अभ्यर्थी

प्रमाणित प्रति देने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता
2. क्या आवेदक मामले का पक्षकार है
3. क्या मामला लंबित है या निपटा दिया गया है
4. जिस दस्तावेज की प्रति के लिए आवदेन किया गया है, तारीख सहित उसका विवरण
5. अपेक्षित प्रतियों की संख्या
6. प्रेषित फीस की रकम और संदाय का ढंग

हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए
मंजूर की गई/रद्द की गई
संदेय/संदत्त अतिरिक्त प्रतियों की फीस
और उसके ब्यौरे

सचिव

उपाबंध-V

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

आवेदित प्रति का रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदन की तारीख	आवेदक का नाम	याचिका सं.	उस दस्तावेज की विशिष्टियाँ, जिसकी प्रति अपेक्षित है	प्राप्त रकम	डिमांड ड्राफ्ट/ संदाय आदेश सं. तारीख, बैंक की विशिष्टियाँ	पृष्ठों की संख्या	अतिरिक्त रकम और डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश की विशिष्टियाँ	तैयार करने की तारीख	परिदान की तारीख	प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

उपाबंध-VI

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

याचिका सं.

------------------प्रार्थी

बनाम

------------------प्रत्यर्थी

दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन

मैं, उपर्युक्त मामले मं दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण की अनुज्ञा लेने के लिए आवेदन करता हूँ ब्यौरे निम्नवत है:

1. अनुज्ञा चाहने वाले व्यक्ति का नाम और पता

2. क्या वह मामले का पक्षकार है या वह किसी पक्षकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि है । आवश्यक विशिष्टियाँ दें ।

3. निरीक्षण किए जाने वाले पेपरों/ दस्तावेजों के ब्यौरे

4. निरीक्षण करने का प्रयोजन

5. किए जाने वाले निरीक्षण की तारीख और अवधि

6. संदेय फीस की रकम और संदाय का ढंग ।

स्थान :

तारीखः

हस्ता:

कार्यालय उपयोग के लिए

----------------को निरीक्षण मंजूर/रद्द किया गया ।

सचिव

उपाबंध-VII

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

अभिलेखों के निरीक्षण के लिए रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदक का नाम	आवेदन की तारीख	निरीक्षण किए जाने वाले अभिलेख	निरीक्षण करने के प्रयोजन	डिमांड ड्राफ्ट/ संदाय आदेश सं, तारीख बैंक की विशिष्टियां सहित संदत्त रकम	निरीक्षण करने की तारीख	वह पदधारी जिसकी उपस्थिति में अभिलेख का निरीक्षण किया गया	अभिलेख निरीक्षण करने वाले सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<u>उपाबंध-VIII</u>

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
कोर 3, 5वां तल स्कोप कॉम्प्लेक्स , लोदी रोड, नई दिल्ली
टेलीफोन नं. 4361145 फैक्स नं. 4360010

<u>फीस रजिस्टर</u>

क्रम सं.	याचिका/. आवेदन सं.	डिमांड ड्राफ्ट पे आर्डर प्रेषित करने वाले पक्षकार का नाम	डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर को प्रेषित करने का प्रयोजन	डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर की संख्या और तारीख	पे आर्डर डिमांड ड्राफ्ट की रकम की विशिष्टियाँ	बैंक का नाम	हस्ताक्षर करने वाले का नाम	उस पदधारी का नाम और हस्ताक्षर जिसने संदाय आदेश पास किया है	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10